(वाद सं0–2727/2015)

29.10.2021

मृत परिवादी, महासुन्दरी देवी, की ओर से उनकी दो पुत्रियों में से एक पुत्री, उमरावती देवी, के पति, राम सदन सिंह, उपस्थित हैं।

दूसरी ओर से विपक्षी आनन्द कुमार शर्मा के साथ उनके विद्वान अधिवक्ता, श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह, उपस्थित हैं।

उभय पक्ष को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के देवर, स्व0 सुन्दर सिंह के दो पुत्रों, विरेन्द्र कुमार व आनन्द कुमार शर्मा व उनकी पुत्रवधु, मीना देवी (आनन्द कुमार शर्मा की पत्नी) द्वारा परिवादी, महासुन्दरी देवी, की जाली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर तथा उपरोक्त कथित आनन्द कुमार शर्मा द्वारा अपने को परिवादी का पुत्र बताकर परिवादी द्वारा अपने स्त्रीधन से अर्जित करीब 02 एकड़ 17डी0 जमीन का अपने नाम से जाली दाखिलखारिज करवाने से संबंधित है।

पूर्व में राज्य आयोग द्वारा C.W.J.C संख्या–5038/2014 के अन्तर्गत पारित आदेश के आलोक में परिवादी के तथाकथित पुत्र, आन्नद कुमार शर्मा द्वारा अपने पिता के नाम में फर्जीवाड़ा कर, परिवादी के पति, स्व0 कैलाश पति सिंह, का नाम दर्ज करने जबकि वास्तव में उसके पिता का नाम स्व0 सुन्दर सिंह रहने से संबंधित तथ्य के आलोक में तत्संबंधी दस्तावेजों में संशोधन कराने का राज्य आयोग द्वारा आदेश पारित किया गया था। उस समय तक विपक्षी, आनन्द कुमार शर्मा, राज्य आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए थे।

बाद में विपक्षी, आनन्द कुमार शर्मा, अपने अधिवक्ता के साथ राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा उनकी ओर से राज्य आयोग को सूचित किया गया कि समान आशय के कई मामले वर्त्तमान में विभिन्न न्यायालयों में लंबित है जिसमें से स्वत्ववाद सं0–172/2000 वर्त्तमान में द्वितीय अवर न्यायाधीश, दानापुर के

न्यायालय में विचाराधीन है। उनके द्वारा राज्य आयोग को यह भी सूचित किया कि उन सभी भी विचाराधीन विषय भी वहीं है जो राज्य आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

गत तिथि को राज्य आयोग द्वारा विपक्षी, आनन्द कुमार शर्मा के अधिवक्ता को इस संबंध में सूचित करने हेतु निर्देश दिया गया कि समान आशय के कौन–कौन से मामले किस–किस न्यायालय में लंबित है।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी, आनन्द कुमार शर्मा, की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो संचिका के साथ संलग्न है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन विवाद के समरूप मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आज पारित आदेश से उभय पक्ष को अवगत करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक